न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/67/2025	2025/265	22.07.2025	03.11.2025

1. कमली पुत्री श्री नहन्याराम जाति माली निवासी माचाडी हाल ग्राम नन्देरा तहसील बसवा जिला दौसा राज0।

——प्रार्थी

बनाम

1. भगवानसहाय पुत्र सूरज जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी माचाडी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।
2. दिनेश पुत्र सूरज जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी माचाडी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।
3. रामप्रसाद पुत्र किशनलाल जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी माचाडी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।
4. मुरारी पुत्र किशनलाल जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी माचाडी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।
5. हरदयाल पुत्र किशनलाल जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी माचाडी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।
6. बत्तो पुत्री किशनलाल जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी माचाडी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।
7. सरकार जरिये तहसीलदार रैणी जिला अलवर राजस्थान।
8. उपखण्ड अधिकारी, रैणी जिला अलवर राजस्थान।

——अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितिः—

01—श्री पवन सिंह चौहान —वकील प्रार्थी

02—श्री विमल जैन —वकील अप्रार्थी सं. 1 ला0 5

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी में लंबित/विचाराधीन प्रकरण बउनवान कमली बनाम भगवानसहाय एवं अन्य मु.सं. 1/107/2024 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस अपने समर्थन में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मुकदमा बअनुवान कमली वादनी (बनाम) भगवानसहाय एवं अन्य प्रतिवादीगण राजस्व वाद संख्या 01/107/2024 अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर राजस्थान हैं, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 18—07—2025 नियत हैं। प्रार्थीया द्वारा उक्त दावा के साथ प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उक्त तहत अदालत में पेश किया गया, जिस पर तहत् अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा बहस सुन ली गई हैं।

तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा उक्त प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशी नियत की जा रही हैं। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 8 उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि रखकर सारे कायदे कानून ताक पर रखकर जल्दबाजी में प्रकरण का निस्तारण करने को उतारू हैं। तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

आनन फानन में मुकदमें में कार्यवाही कराना चाहते हैं। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की सुविधानुसार उनके व उनके वकील के कहे अनुसार तारीख पेशी नियत की जाती हैं, तथा मिन प्रार्थीया के वकील साहब द्वारा निवेदन करने पर भी उनके कहे अनुसार तारीख नियत नही की जाती हैं। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 8 बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाऐं व प्रार्थीया के वकील साहब की दावा में बहस सुने बिना ही दावा व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने को उतारू हैं।

तहत अदालत के. पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 8 के कहने से उक्त प्रकरण की पत्रावली हर पेशी पर अन्य प्रकरण की पत्रावलीयों से अलग रखी जाती हैं। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 8 पर दबाव बनाया हुआ हैं। तथा तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 8 उनके दबाव व प्रभाव में हैं। उक्त प्रकरण में विगत पेशी दिनांक 16–07–2025 को तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा भरी अदालत में मिन प्रार्थीया व उसके वकील साहब से ऐलानिया तौर पर कहा हैं, कि " प्रकरण में तुम्हारा कोई लेना देना नही हैं, जल्द से जल्द बहस करों, अन्यथा आगामी पेशी पर आवश्यक रूप सें प्रकरण का निस्तारण कर दावा व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दूँगा।

तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा खुले न्यायालय में पूर्व में ही अपने न्याय निर्णय का इजहार कर दिया हैं। तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 8 से सांठ गांठ कर ली हैं, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को मिन प्रार्थीया ने कई बार तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 8 के चैम्बर में आते जाते व चैम्बर के बाहर बैठे देखा हैं, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने विगत पेशी पर मिन प्रार्थीया से अदालत परिसर में ऐलानिया तौर पर ऐसा कहा हैं, कि उनकी तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 8 से बातचीत हो गयी हैं, मुकदमा का फैसला उनके पक्ष में होंगा, तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 8 से जल्दी तारीख दिनांक 18–07–2025 नियत करा ली हैं, तथा दावा व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कराकर रहेंगे। मिन प्रार्थीया को पूरा भय व आशंका हैं, कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 8 को निष्पक्ष न्याय करने में बाधा पैदा कर रहे हैं।

उक्त वर्णित सूरत में न्यायहित में उक्त प्रकरण को तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर राजस्थान से किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाना अतिआवश्यक हैं। दौरान विचारण मुकदमा तहत. अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 8 से प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी तलब कर उनको आगामी कार्यवाही स्थिगित रखने के लिए पाबंद किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हैं। जिस हेतु नेकनियती से प्रार्थीया की ओर से यह प्रार्थनापत्र मुन्तकिली मुकदमा अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा हैं।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर मुकदमा बअनुवान कमली वादनी (बनाम) भगवानसहाय एवं अन्य प्रतिवादीगण राजस्व वाद संख्या 01/107/2024 अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को उक्त न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर राजस्थान से किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिली फरमाने की कृपा करें। दौरान विचारण मुकदमा तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 8 से प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी तलब कर उनको आगामी कार्यवाही स्थिगित रखने के लिए पाबंद किया जावें। खर्चा मुकदमा प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से दिलाया जावें।

अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 ने लिखित जवाब पेश कर अपने समर्थन में बिंदु अनुसार कथन किया है कि चरण 1 और 2 स्वीकार हैं। चरण 3 से 10 तक अस्वीकार है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार है। न्यायालय ने किसी तरह की "छोटी पेशियाँ" या "जल्दबाजी में निस्तारण" की कोशिश नहीं की। कानूनी प्रक्रिया नियमित रूप से चल रही है, प्रार्थीया ही मामले को लटकाना चाहती है। यह गलत है कि न्यायालय अप्रार्थीगण की सुविधा के अनुसार तारीखें तय करता है। प्रार्थीया ने गलत बयान दर्ज करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है।

न्यायालय के कार्यालय में किसी का हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए यह कहना कि "पत्रावली अलग रखी जाती है" निराधार है। पीठासीन अधिकारी पर दबाव या पक्षपात का कोई प्रश्न नही उठता। प्रार्थीया ने झूठे आरोप लगाकर खुद लाभ लेने का प्रयास किया है। यह आरोप कि अप्रार्थीगण न्यायाधीश के चेम्बर में गए "पूरी तरह झूठा और बिना प्रमाण" है। प्रार्थीया को किसी "आशंका" का अधिकार नहीं है, क्योंकि अदालत का रवैया निष्पक्ष है।

चरण 11 बाबत आवेदन "झूठे व गलत तथ्यों" के साथ दाखिल है, इसलिए खारिज किया जाना चाहिए। चरण 12 और 13 "काबिले गौर" श्रीमान हैं।

अतिरिक्त कथन :— मुकदमा 29 जुलाई 2024 से चल रहा है। प्रार्थीया कमली पुत्री नहना पहले से इसी विषय पर मुकदमेबाजी कर चुकी है (1985 से उसके परिवार के मुकदमे)। पहले के मामलों में कोई सफलता नहीं मिली, अब वही विवाद फिर से उठाया गया है। शजरा (वंशावली) में जानबूझकर गलत नाम दर्ज किए गए हैं। अपने भाई "बब्बू" को "भंभू" लिखकर पहचान छिपाई है। राजगढ़ एसडीओ ने पहले ही आदेश पारित किए थे (दिनांक 18—02—25 और 03—03—25 के आदेश), जिनके तहत आराजी (भूमि) रिसीवर के कब्जे में होने के कारण नियमानुसार सूरज व किशना के वारिसान को संभलवाने के आदेश पारित किये गये थे। अप्रार्थीगण को कब्जा दिलाने के आदेश पहले ही रेवेन्यू बोर्ड के निर्णय दिनांक 03—05—2019 से हो चुके हैं, लेकिन प्रार्थीया जानबूझकर इसमें अड़चन डाल रही है। इसलिए, वर्तमान प्रार्थना पत्र सिर्फ मुकदमे को लंबा करने और अदालत पर दबाव बनाने का प्रयास है।

अतः निवेदन किया है कि "प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र झूठे, बेबुनियाद, अस्पष्ट और भ्रामक तथ्यों पर आधारित है, अतः इसे हर्जाना सहित खारिज किया जाए।"

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मुन्तकिल के संबंध में बिन्दुवार टिप्पणी प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 1 स्वीकार है। उक्त उनवानी प्रकरण मु.नं. 01/107/2024 उनवानी कमली बनाम भगवानसहाय वगै० अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान —काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें आगामी तारीख पेश 17.09.2025 नियत है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 02 आंशिक स्वीकार है। उक्त दावा के साथ प्रार्थना—पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उक्त तहत अदालत में पेश किया गया, जिस पर तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई, एवं अंतिम बहस के लिए दिनांक 17.09.2025 नियत की गई है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 3 अस्वीकार है, प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र में आरोप बेबुनियाद है, पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 4 अस्वीकार है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र में आरोप बेबुनियाद एवं मिथ्या है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा न्यायालय प्रक्रिया अनुसार विधिनुरूप कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 5 अस्वीकार है, प्रार्थना—पत्र 212 अंतिम बहस स्तर पर लंबित है, बहस हेतु कई बार अवसर देते हुऐ पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 6 अस्वीकार है, पीठासीन अधिकारी द्वारा सप्ताह के दो दिन (बुधवार, शुक्रवार) कोर्ट संचालित करते है, बुधवार, शुक्रवार के अलावा अन्य कोई तारिख पत्रावली में नहीं दी गई है। यह आरोप निराधार एवं असत्य है। प्रार्थना—पत्र का बिन्दु संख्या 7 अस्वीकार है पीठासीन अधिकारी द्वारा कोर्ट प्रक्रिया अनुसार बिना किसी दबाव एवं भेदभाव से कार्य किया जा रहा है। जो आरोप लगाये गए है वे निराधार एवं मिथ्या है। प्रार्थना

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

पत्र का बिन्दु संख्या 8 अस्वीकार है, क्योकि मूल पत्रावली प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 8 रूल 9 के आदेश स्तर पर लंबित है एवं प्रार्थना–पत्र 212 अंतिम बहस स्तर पर लंबित है। जब तक पत्रावली में अंतिम बहस हेतु मौका नहीं दिया जाता तब तक निर्णय नही सुनाया जा सकता इसलिए लगाये आरोप बेबुनियाद एवं मिथ्या है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा न्यायालय प्रक्रिया अनुसार विधिनुरूप कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 9 अस्वीकार है, पीठासीन अधिकारी द्वारा कोर्ट क्रिया अनुसार बिना किसी भेदभाव के कार्यवाही की जा रही है। तथापि फिर भी उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तिकिल किया जाता है तो हमें कोई एतराज/आपत्ति नही है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 10, 11, 12, 13, एवं 14 है जो काविल ए गौर श्रीमान है। प्रार्थना पत्र का अन्तिम पैरा बाबत् अनुतोष है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण विधि के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। शेष आरोप निराधार व मनगढन्त हैं। अतः बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यदि उक्त प्रकरणों को किसी अन्य यालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी रैणी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा वाद कमली बनाम भगवानसहाय एवं अन्य, राजस्व वाद संख्या 01/107/2024, अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर से किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने संबंधी प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा यह आरोप लगाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी (अप्रार्थी संख्या 8) द्वारा प्रकरण में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, छोटी–छोटी तिथियाँ दी जा रही हैं तथा प्रतिवादियों के दबाव में कार्यवाही की जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर सभी आरोपों को असत्य, निराधार व मनगढंत बताया गया। कहा गया कि न्यायालय नियमित विधि अनुसार कार्य कर रहा है और प्रार्थी मुकदमे को अनावश्यक रूप से लटकाना चाहती है। अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी रैणी) द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी में स्पष्ट किया गया है कि वाद में विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है, प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुन ली गई है तथा अंतिम बहस हेतु 17.09.2025 की तिथि नियत है। लगाए गए आरोपों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप मात्र आशंका पर आधारित हैं, जिनके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल यह कहना कि "न्यायालय पक्षपाती है" तब तक पर्याप्त नहीं माना जा सकता जब तक इसके समर्थन में ठोस तथ्य अथवा साक्ष्य न हो। न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथियाँ या बहस की प्रक्रिया न्यायिक विवेक का विषय है, इन्हें पक्षपात नहीं माना जा सकता। इस प्रकार, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र न्यायालय पर अविश्वास उत्पन्न करने हेतु बिना पर्याप्त कारण, तथ्य व सबूत/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। ऐसे आवेदन का उद्देश्य मुकदमे की कार्यवाही में विलम्ब करना प्रतीत होता है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल बिना पर्याप्त कारण, तथ्य व सबूत/साक्ष्य के अभाव में सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान